518

3 2016

202

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(43)नविवि / 3 / 2009पार्ट जयपुर, दिनांक– 8 FEB 2016

आदेश

विभाग द्वारा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवटन) नियम, 2012 में संशोधन हेतु जारी आदेश क्र. प. 3(43)नविवि / 3 / 2009पार्ट दिनांक 12.08.2015 के बिन्दु संख्या 'ब' का सक्षम स्वीकृति के उपरान्त निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु सं. 'ब' – प्रस्तावित स्थल उपरोक्त 'अ' में वांछित न्यूनतम पहुंच मार्ग मास्टर प्लान / सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम पहुंच मार्ग 12 मीटर आवश्यक होगा तथा मास्टर प्लान / सेक्टर प्लान में प्रस्तावित मार्गाधिकार सुनिश्चित करने हेतु आवेदक से मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित करायी जावेगी।

- पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12.08.2015 के बिन्दु संख्या 'अ' व 'स' यथावत रहेंगे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

10.2.16

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय